50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. 50RS

FIFTY RUPEES

न्यासनामा
========

(1) न्यास का नाम :- छोटानागपुर विकास मंच ।

(2) निबंधित कार्यालय :- इस न्यास का निबंधित कार्यालय ग्राम -पो0-देवकुली, जिला - हजारीबाग होगा आवश्यकतानुसार स्थान परिवर्तन की सूचना निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को 15 दिन के भीतर दे दी जाएगी ।

(3) न्यास कर्ता का नाम :-श्री नन्द किशोर प्रसाद कुशवाहा, ग्राम + पो0 - देवकुली, जिला हजारीबाग पिन- 825402

(4) न्यास का कार्यक्षेत्र :- इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा ।

(5) न्यास का कोष :- प्रारम्भ में न्यास सदस्यों के सहयोग से 1000/- रू0 प्रारंभिक कोष के रूप में संग्रहित कर अपने उद्देश्यों के संचालन हेतु व्यवस्थित करेगा ।

(6) न्यास के उद्देश्य :- छोटानागपुर विकास मंच भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत निबंधित एक स्वयंसेवी न्यास होगी जो ग्रामीण एवं [illegible] विकास में समतामूलक समाज की स्थापना एवं निम्न वर्ग के विकास हेतु सदैव संघर्षरत रहेगी । अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन करेगी ।

3940

Hcn. 29-3-2000 - Chota Nagpur Vikas Manch - Deoki - D. Dehak - H Bagh - J - [illegible] - 60/- in two sheet

3940-50/-
3941-10/-

S. Qasim Ahmad
Stamp Vendor
L. 29/91
Hazaribagh

छोटा नागपुर विकास मंच कार्यालय

ग्राम पो० देवकली

द्वारा

हजारीबाग

[illegible] सचिव

हजारीबाग

20/3/2000

30-3-2000

नन्द किशोर प्रसाद कुशवाहा
सचिव

39/24/2000

नन्द किशोर प्र० कुशवाहा
30-3-2000

[illegible] कुशवाहा
देवकली [illegible]

अमित कुमार कुशवाहा

लोचन महतो

पि० जीवलाल महतो

40/24/2000

~~[illegible]~~
31-3-2000
[illegible]

30-3-2000

30-3-2000

10 Rs.
दस रुपये
सत्यमेव जयते
भारत
INDIA
१०रु. TEN RUPEES 10RS

§क§ सामाजिक रूप से पिछडे वर्ग में जनचेतना, शिक्षा, जागरूकता लाने एंव जयप्रकाश लोहिया आदि के आदर्शों एंव मूल्यों को स्थापना हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना ।

§ख§ महिलाओं के विकास के लिए आंगनबाडी एंव बच्चों के विकास के लिए बाल बाडी कार्यक्रम का आयोजन करना ।

§ग§ महिलाओं को स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी देकर उन्हें प्राथमिक उपचार, परिवार कल्याण, शिशु टीकाकरण, लक्ष्य सेवा शिविर का आयोजन करने का प्रयास करना ।

§घ§ हरिजन आदिवासी के बीच जागरूकता लाने का प्रयास करेगी।

§च§ महिलाओं को उर्जा के संरक्षण सबंधी जानकारी देकर उन्हें धुंआ रहित चुल्हा, गोबर गैस, बायो गैस एंव सौर उर्जा के बारे में अधिक से अधिक लाभान्वित कराने का प्रयास करना ।

§छ§ वे रोजगार युवक/युवतियों को एंव आर्थिक रूप से पिछडे महिलाओं को हस्त कला, शिल्प कला, सुचिकला, खादी ग्रामोद्योग . चर्म उद्योग के बार में नि: शुल्क जानकारी दिलाने काप्रयास करना ।

§ज§ ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बी बनाने हेतु सिलाई , कटाई, बुनाई पेन्टीग, चित्रकारी , गुडिया निर्माण, कालिन बुनाई, स्वेटर बुनाई . बचत कोष, चरखा एंव अपलिक संबंधी जानकारी नि:शुल्क देना ।

§झ§ गरीब एंव नि:सहायक महिलाओं को पापड, बडी , ठोंगा, बेंत की टोकरी मोमबती , अगरबत्ती , पत्ता का पत्तल बनाने , कागज का प्लेट , लाटकी , चुडी , बिन्दी बनाने के बारे में नि:शुल्क जानकारी देकर , उनके द्वारा निर्मित समानों की प्रदर्शनी शिविर , संमिनार लगार बिक्री करने का प्रयास करना ।

(ट) महिलाओं के जागरण हेतु गोष्ठिया, प्रतियोगिता, चित्रकला, क्वीज का आयोजन कराने का प्रचार करना ।

(ठ) बाल एंव बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाकर उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करना ।

(ड) महिलाओं को सौन्दर्य एंव प्रसाधन के बारे में निः शुल्क जानकारी देने का प्रयास करना ।

(ढ) समाज में फैले कुरीतियों के निराकरण हेतु महिलाओं को जाग्रत करना तथा इससे संबंधित वाद-विवाद ,सभा सम्मेलन, गोष्ठी का आयोजन कर समाज में बढ रहे दहेज प्रथा, नारी अत्याचार, नशाखोरी , बाल विवाह, एडस जैसे अचानक रोग के रोक थाम केलिए कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना ।

(ण) प्राकृतिक प्रकोप जैसे, बाढ, अकाल, अगलगी, सुखाड महामारी से पीडित जन समुदाय को शिविर लगाकर मुक्त दवा, भोजन वस्त्र , आवास की व्यवस्था कराने का प्रसास करना ।

(त) समाज के बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना तथा पत्र पत्रिका,पुस्तक ग्रन्थ को संकलन कर महिलाओं को लाभान्वित कराने का प्रसास करना ।

(थ) सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को नृत्य,वाद्य, संगीत , नाटक एंव अन्य ललित कलाओं के बारे में निःशुल्क जानकारी देना एंव प्रचार प्रसार करना ।

(7) निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम,पिता/पति का नाम पता, पेशा एंव पद नीचे दिया गया वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिन पर न्यास के नियमानुसार प्रबंन्ध का भार सौंपा गया हैं :-

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री नन्दकिशोर सिंह पिता श्री सकलदीप सिंह	ग्रामपोरिया, पो0- पुनाई, भाया- ईचाक, हजारीबाग	समाजसेवी	अध्यक्ष
2.	श्री नन्दकिशोर प्र. कुशवाहा पिता श्री गिरधारी महतो	ग्रा., पो. देवकुली भाया ईचाक, ह0बाग.	•	सचिव
3.	सुश्री मंजू कुमारी पिता श्री भीखी महतो	हुडरू, हजारीबाग	•	कोषाध्यक्ष
4.	बिजय महतो पिता श्री वासुदेव महतो	ग्राम बेहरी, पो. ओरिया हजारीबाग	•	सदस्य
5.	तुलसी दुबे (अधिवक्ता) पिता स्व. जयलाल दूबे	कालीबाडी रोड हजारीबाग।	•	•
6.	अमित कुमार कुशवाहा पिता श्री लाली महतो	ग्रा. भारीजो, पो. झरीपो हजारीबाग।	•	•
7.	छोटन तुरी स्व. बेनी तुरी	ग्रा., पो. देवकुली जिला- हजारीबाग	•	•

---

8. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पेशा पता एंव हस्ताक्षर नीचे दिया गया है इस न्यास के स्मृति पत्र के अनुसार न्यास में परिणत होने के तथा निबंधन अधिनियम 1882 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं।

नन्द किशोर प्र0 कुशवाहा
29-3-2000
तुलसी दुबे
अधिवक्ता 29.3.2000
अमित कुमार कुशवाहा
29-3-2000

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	श्री नन्दकिशोर सिंह	श्री सकलदीप सिंह	ग्रा. चोरिया पो. पुनाई भाया ईचाक हजारीबाग	समाजसेवी	
2.	श्री नन्दकिशोर प्र. कुशवाहा	श्री गिरधारी महतो	ग्रा.पो. -देवकुली भाया-ईचाक, हजारीबाग ।		नन्द किशोर प्र० कुशवाहा
3.	सुश्री मंजू कुमारी	श्री भीखो महतो	डुडरू, ह०बाग		
4.	बिजय महतो	श्री बासुदेव महतो	ग्रा. बेहरी, पो. ओरिया हजारीबाग ।		
5.	तुलसी दुबे §अधिवक्ता§	स्व० जयलाल दूबे	कालीबाडी रोड हजारीबाग ।		तुलसी दुबे अधिवक्ता
6.	अमित कु० कुशवाहा	श्री लाली महतो	ग्रा. माराजो, पो. झरपो, हजारीबग ।		अमित कुमार कुशवाहा
7.	छोटन तुरी	स्व० बेनी तुरी	ग्रा. पो. - देवकुली जिला-हजारीबाग		

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है, जिन्हें मैं पहचानता हूँ ।

टंकण कर्ता :-
एस. के. सिन्हा
हजारीबाग ।
Sreepan Kr. Sinha
Court Compound
Hazaribag
29/3/2000

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज के द्वितीय प्रति एक दूसरे के हूबहू सच्ची प्रतिलिपि है।
तुलसी दुबे
अधिवक्ता
29.3.2000

Trust

IV – 18
Stamp 60/-

नियमावली

1· न्यास का नाम:- छोटानागपुर विकास मंच

2 परिभाषा:-

(क) न्यास से अभिप्राय है- छोटानागपुर विकास मंच

(ख) पदाधिकारी से अभिप्राय है- अध्यक्ष,सचिव,कोषाध्यक्ष

(ग) वर्ष से अभिप्राय है- 31 मार्च से 28 फरवरी तक

(घ) एकट से अभिप्राय है- भारतीय न्यास अधिनियम 1882

3 सदस्यता की समाप्ति -

(क) स्वंय त्याग पत्र देने पर

(ख) पागल एवं मृत्यु होने पर

(ग)

4· पदाधिकारी के अधिकार एवं वर्तव्य :-

अध्यक्ष

(क) न्यास के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर अपना निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना ।

(ग) कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर करना ।

(1) नन्द किशोर प्रसाद कुशवाहा
अमित कुमार कुशवाहा
तुलसी दुबे अधिवक्ता

नन्द किशोर प्रसाद
Secretary (सचिव)
CHHOTANAGPUR VIKAS MANCH
Daokuli, Ichak

सचिव :-

(क) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

(ख) बैठक के कार्यवाही की कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष में हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

(ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

(घ) न्यास की ओर से पत्राचार करना ।

(ङ) न्यास के आय- व्यय का अंकेक्षण कराना ।

(च) आवश्यकता पड़ने पर समिति की बिना एवं अनुमति के 5000/- रुपये तक व्यय करना तथा आगामी बैठक में इसे स्वीकृत करा लेना ।

(छ) कार्य-कारिणी समिति के राय से कर्मचारियों पर नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

(ज) न्यास के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

(क) न्यास के आय- व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ख) आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 5000/- रुपये तक रखना ।

नन्द किशोर प्रसाद कुशवाहा
अमित कुमार कुशवाहा
तुलसी/पुत्र अधिवक्ता

पेज- उल्टे-

नन्द किशोर प्रसाद

Secretary (सचिव)
...VIKAS MANCH
...Hazaribag

(ग) न्यास के कोष को किसी निबंधित बैंक या डाकघर में जमा रखना तथा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तीन में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर जिसमें सचिव का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

6. आय का श्रोत:-

(क) उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से

(ख) सरकारी दान-अनुदान ।

(ग) सरकार संस्था, दाता संस्था से सहायता एवं ऋण ।

7. पंजी का निरीक्षण :-

न्यास की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी । जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है।

8. निधि का अंकेक्षण :-

न्यास के आय- व्यय का लेखा नियमित रुप से रखा जाएगा । तथा नियुक्त अंकेक्षण से प्रत्येक एवं न्यास की निधि का अंकेक्षण कराया जाएगा।

नन्द किशोर प्रसाद कुशवाहा
अमित कुमार कुशवाहा
तुलसी दुबे अधिवक्ता

नन्द किशोर प्रसाद
Secretary (सचिव)

9. नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन आम सभा के 1/2 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव करने पर ही किया जाएगा।

10. कानूनी कार्यवाही :-

न्यास पर या न्यास के द्वारा कानूनी कार्यवाई सचिव के पदनाम होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जाएगी।

11. (क) विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था का न्यास निबंधन में निबंधन अधिनियम 1882 के धाराओं का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

(ख) विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पति बचेगी वह किसी न्यासी या गैर न्यासी में नहीं बांटी जाएगी बल्कि न्यासियों का 1/2 सदस्यों की सहमति से समान उद्देश्य वाली किसी दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जाएगी।

नन्द किशोर प्रसाद कुo अमित कुमार कुशवाहा
तुलसी दुबे अधिवक्ता

नन्द किशोर प्रसाद
Secretary (सचिव)
CHHOTANAGPUR VIKAS MANCH